

# निाम पत्र पदाधिकारी का न्यायालय, सरायकेला

490

शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया

बड़ा आमदा

M/S BIBAK BRICKS प्रॉप - पंकज कुमार पांडे

श फलक

आदेश पत्र तारा

जिला- सरायकेला-खरसावाँ

केस के प्रकार :- बैंक प्रॉप

से

संख्या :- 31(B01)18-14

निलाम पत्र :- 9,57,780/-

आदेश की क्रम  
सं० और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की हुई  
कारवाई के बारे में  
टिप्पणी तारीख सहित

28/4/18

अधियाची पदाधिकारी शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया

द्वारा दायर अधि-  
याचना देखा। लोक मांग अधिनियम के धारा-5 के अन्तर्गत

M/S BIBAK BRICKS

देनदार पंकज कुमार पांडे

पिता- रमेश कुमार पांडे

पता- नया बजार आमदा

पत्रालय- थाना खरसावाँ

जिला-सरायकेला-खरसावाँ के विरुद्ध रकम 9,57,780/-

नौलाख सात हजार सात सौ वसुली हेतु अधियाचना

किए हैं।

देनदार को लोक मांग अधिनियम की धारा-7

के अन्तर्गत सूचना निर्गत करें एवं पंजी X में दर्ज करें।

दिनांक 28/4/18

को अभिलेख प्रस्तुत करें।

प. 18

निलाम पत्र पदाधिकारी,  
सरायकेला

आज्ञा कर दिया

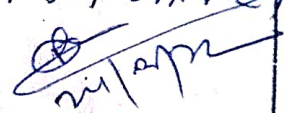
20/4/18  
28/4/18



24/3/2022

अधिराधी पदाधिकारी सह शाखा प्रबंधक - Bank-  
of India Buxa Arunda Branch के REF: BMD/  
JS: 2021-22 Case No 31/2015-16 -  
दिनांक 16/02/2022 के आलेख में देनदार के  
साथ समझौता के तहत लोन खाता बन्द होने की  
सूचना दी गई है।

अतः अधिलेख की कारवाई बन्द किया जाता है।

  
नीलाम प्रसाद पदाधिकारी  
सरायकेला